M.Ed.- IV Sem
SC.- 4

National University of Educational planning and Administration
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA)

न्यूपा (NUEPA) →: NUEPA शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत का ही नहीं अपितु, दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखते हुये भारत सरकार ने इसे अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समान न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है।

प्रारम्भ में NUEPA की स्थापना 1962 ई० में एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के शैक्षिक योजना कारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को (UNESCO) केन्द्र के रूप में की गयी थी जिसे 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया दिया गया। इसके 4 वर्ष बाद अर्थात 1969 ई० में भारत सरकार ने इसका इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम 'राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कालेज' रख दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासन कालेज की बदली भूमिकाओं और कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास, शोध और सरकारों को दी जा रही व्यवसायिक सलाहकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 ई० में पुनः इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशिक्षण संस्थान (नीपा - NIEPA) कर दिया गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) में 10 विभाग हैं। इनमें प्रतिष्ठित बहुशास्त्रीय संकाय है। विश्व विद्यालय का पुस्तकालय बहुत समृद्ध है। इसमें शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण

Scanned by CamScanner

पुस्तकें, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय जर्नल और सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय अपने बहुआयामी गतिविधियों के अलावा शिक्षा नीति योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अंतर-शास्त्रीय समाज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एम० फिल०, पीएच० डी०, और अंशकालिक पीएच० डी० कार्यक्रम भी संचालित करता है।

न्यूपा के शोध कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से शिक्षा के सभी स्तरों और प्रकारों को शामिल किया जाता है।

Central Advisory Board of Education (CABE)
(केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड) (सी० एब० बी० ई०)

शिक्षा का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है। यह विचार की शिक्षा का एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड होना चाहिए, इसका समर्थन सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917-19) ने किया। इस प्रकार इस बोर्ड की स्थापना सन 1920 ई० में हुई लेकिन किन्हीं कारणों से सन 1923 ई० में इसे भंग कर दिया गया (वित्तीय कारण)।

सर्कट के अगले बारह वर्षों तक, भारत सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देने एवं शैक्षिक ढाँचे को विकसित करने को सुझाव देने के लिए कोई बोर्ड अथवा निकाय नहीं था। हालांकि, बोर्ड के बंद होने पर अफसोस की भावना बढ़ने लगी, और अन्ततः सन 1935 ई० केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की पुनः स्थापना की गयी।

क्योंकि यह बोर्ड केन्द्र एवं राज्यों सरकारों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च

सलाहकार निकाय है।

बोर्ड के उद्देश्य :- इसके उद्देश्य निम्नवत हैं-

(1) पाठ्यक्रम तैयार करने में देश के सभी शिक्षण संस्थानों को सुझाव देना।

(2) शैक्षिक मानकों में सुधार के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए राज्य एवं केन्द्र के लिए एक साझा मंच तैयार करना।

(3) किसी भी प्रकार के शैक्षिक प्रश्न के बारे में राज्य एवं केन्द्र सरकारों को सलाह देना।

(4) विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए समितियों की नियुक्ति करें।

(5) शिक्षा से संबंधित मामलों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों से विशेषज्ञ समीक्षा और जानकारी व सुझाव मांगना।

बोर्ड के कार्य :- मुख्य रूप से बोर्ड के कार्य [Functions of Board] इस प्रकार है।-

(1) बोर्ड समय-समय पर शैक्षिक मानकों की प्रगति की समीक्षा करता है।

(2) राज्य व केन्द्र सरकारों द्वारा लागू की गयी शैक्षिक नीतियों का मूल्यांकन करता है।

(3) केन्द्र व राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास की बेहतरी के लिए विभिन्न गैर-सरकारी और सरकारी एजेंसियों के समन्वय के बारे में सलाह देता है।

Scanned by CamScanner

शैक्षिक नियोजन
Educational Planning

परिचय (Introduction) :- नियोजन के सभी कार्यों में उत्तम निष्पादन (Performance) की सम्भावना निहित है। शिक्षा में नियोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि यह शिक्षा में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों का आधार प्रदान करती है। ऐसा केवल नियोजन की तकनीकों एवं उपागमों को अपनाकर ही किया जा सकता है।

अर्थ (Meaning) :- अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोष ने "नियोजन को योजनाओं को बनाने, क्रियान्वयन के कार्य के रूप में परिभाषित किया है।" यह किन्ही लक्ष्यों की प्राप्ति के 'क्या', 'क्यों' तथा 'कैसे' पर फोकस करता है। अतः नियोजन का अर्थ है अधिकतम कार्यकारी विकल्पों का मूल्यांकन तथा उसके पर कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। नियोजन में विकल्पों में से चयन किया जाता है।

नियोजन की आवश्यकता (The Need of Planning) :-

1- नियोजन उद्यम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। (Planning is necessary to ensure success of the enterprise)
2. दक्ष एवं प्रभावशाली नियोजन के द्वारा समय, प्रयास एवं धन की बचत होती है। (Efficient and Effective Planning saves time, effort and money)
3. नियोजन समस्या समाधान की उत्तम विधि है। (Planning is a good method of solving problems)
4. नियोजन की आवश्यकता दो मुख्य कारणों से है। (The need for Planning arises from to basic reasons)
5. नियोजन समय के साथ चलने के लिए आवश्यक है। (Planning is necessary to keep Pace with the time)

Scanned by CamScanner